जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांकः जीविवि/परीक्षा/गोप./2015/3842 दिनांक : 01.10.2015

प्रति,

समस्त प्राचार्य,
संबंद्ध महाविद्यालय,
जीवाजी विश्वविद्यालय,
ग्वालियर

विषयः-विषय परिवर्तन/अण्डरटेकिंग न दिये जाने के संबंध में।

महोदया/महोदया,

उपरोक्त विषय में आपको अवगत कराया जाता है कि महाविद्यालयों में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल के पोर्टल से किये जाते है तथा छात्रों द्वारा प्रवेश लेते समय अपने विषय/विषय समूह का चयन भी कर लिया जाता है। यह डाटा मध्य प्रदेश शासन द्वारा पूरे वर्ष भर उपयोग किया जाता है। ऐसी स्थिति में विषय परिवर्तन करने का अधिकार महाविद्यालय/विश्वविद्यालय को भी नहीं रह जाता है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि किसी भी स्थिति में छात्रों का विषय परिवर्तन महाविद्यालय स्तर पर नहीं किया जाय और ऐसे छात्रों के परीक्षा आवेदन पत्र भी विश्वविद्यालय को विषय परिवर्तन हेतु अग्रेषित नहीं किये जावे।

इसी प्रकार किसी भी छात्र को महाविद्यालय स्तर पर अण्डरटेकिंग लेकर परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जावे यदि महाविद्यालय द्वारा किसी भी परीक्षा में अण्डरटेकिंग लेकर परीक्षा में सम्मिलित किया जाता है तो विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे छात्रों का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया जावेगा और ऐसी परिस्थिति में समस्त जिम्मेदारी महाविद्यालय/ संबंधित छात्र की होगी एवं विश्वविद्यालय किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

आदेशानुसार

परीक्षा नियंत्रक